न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/2028/2004/अलवर

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगढ जिला अलवर
2. राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर, अलवर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. पूरण पुत्र रामजीलाल पौत्र रामसहाय उर्फ सुण्डा जाति मीणा निवासी ग्राम मीणापुरा तहसील रामगढ जिला अलवर

–प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, उप राजकीय अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री अयूब खान, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 26.04.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19–01–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी प्रत्यर्थी ने उपखण्ड अधिकारी, रामगढ के न्यायालय में एक वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया

कि वादी व उसके दादा, पिता व चाचा की खुदकाश्त की भूमि साबिक खसरा नम्बर 510 रकबा 21बीघा 16बिस्वा ग्राम मीणापुरा तहसील रामगढ में स्थित है, जिसके नये खसरा नम्बर 248 रकबा 12बीघा 16बिस्वा, 249 रकबा 11बिस्वा, 250 रकबा 01बीघा 11बिस्वा, 251 रकबा 01बीघा 08बिस्वा, 252 रकबा 05बीघा 10बिस्वा बनाये गये। आराजी खसरा नम्बर 510 में से 05बीघा भूमि वादी को बंटवारे में मिली थी, जिसका रकबा हाल खसरा नम्बर 248 रकबा 32बीघा 08बिस्वा में मिलाया गया है तथा आराजी खसरा नम्बर 510 का शेष रकबा हाल खसरा नम्बर 248 रकबा 32बीघा 08बिस्वा में तथा 249 रकबा 16बिस्वा में, 250 रकबा 01बीघा 11बिस्वा, 251 रकबा 01बीघा 08बिस्वा, 252 रकबा 05बीघा 10बिस्वा में मिलाया गया है। इस आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा तथा वादी के चाचा हरला व शेष का 1/2 भाग है। विवादित भूमि को सम्वत् 2020 के सेटलमैन्ट में सिवायचक दर्ज कर दिया गया है जबकि भूमि कभी भी सिवायचक नहीं रही है। भू–प्रबन्ध विभाग को इस प्रकार के इन्द्राज परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः साबिक खसरा नम्बर 510 रकबा 21बीघा 16बिस्वा में से 05बीघा रकबा जो हाल सेटलमैन्ट के हाल खसरा नम्ब्र 248 रकबा 32बीघा 08बिस्वा में मिलाया गया है, का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश नहीं करने पर आदेश दिनांक 26–6–2002 से जवाब बन्द किया जाकर वादी की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध की गयी। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की मौखिक बहस सुनने के उपरान्त निर्णय दिनांक 07–08–2003 से डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी अपीलार्थीग्ण की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय

19–01–2004 से खारिज कर दिया। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलार्थीगण द्वारा यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थीगण के योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित आराजी राजकीय भूमि थी तथा जमीदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात् बन्दोबस्त विभाग द्वारा उक्त भूमि को चारागाह दर्ज करने की कार्यवाही विधिसम्मत् तरीके से की गयी थी क्योंकि उक्त विवादित आराजी बंजर कदीम थी। इसी कारण चारागाह भूमि होने के कारण धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 195 के प्रावधानों के अनुसार वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते थे। उनका कथन है कि विवादित आराजी जमीदारी बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 के प्रभाव में आने के समय वादी की खुदकाश्त की भूमि नहीं थी, ना ही राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। इस कारण उसे धारा 29 सपठित धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने येाग्य है। योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य् किये जाने की प्रार्थना की।

अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करते हुए वादी प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया जावे।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2000 तथा जमाबन्दी सम्वत् 2012 के इन्द्राजात के अनुसार वादी की खुदकाश्त की भूमि होना साबित है। उनका कथन है कि मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 510 साबिक का रकबा हाल खसरा नम्बर 248 रकबा 32बीघा 08बिस्वा में मिलाया गया है। उनका कथन है कि विवादित भूमि सम्वत् 2000 में वादी के दादा की खुदकाश्त की भूमि थी, जिसे भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के सम्वत् 2020 में सिवाय चक चारागाह दर्ज कर दिया। उनका कथन है कि भू–प्रबन्ध विभाग को पूर्व के इन्द्राजात को ही दोहराने का अधिकार है, किसी व्यक्ति के खुद काश्त की भूमि को सिवायचक चारागाह में दर्ज करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। भू–प्रबन्ध विभाग ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वादी के पूर्वजों की खुदकाश्त की आराजी को सिवायचक चारागाह गलत रूप से दर्ज किया गया है। उनका कथन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने के समय विवादित आराजी वादी के पूर्वजों की खुदकाश्त की भूमि थी, जिसे सम्वत् 2020 में सिवायचक चारागाह दर्ज किया गया है। उनका कथन है कि विवादित आराजी पर वादी एवं वादी के पूर्वज निरन्तर काबिज काश्त है तथा विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 12–07–2003 में विवादित आराजी पर वादी के काबिज काश्त होने का स्पष्ट अंकन किया गया है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् समवर्ती निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र के मद्देनजर विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए द्वितीय अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य् किया जाना न्यायोचित समझते है। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य् किया जाता है।

8. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने उपखण्ड अधिकारी, रामगढ के न्यायालय में एक वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि वादी व उसके दादा, पिता व चाचा की खुदकाश्त की भूमि साबिक खसरा नम्बर 510 रकबा 21बीघा 16बिस्वा ग्राम मीणापुरा तहसील रामगढ में स्थित है, जिसके नये खसरा नम्बर 248 रकबा 12बीघा 16बिस्वा, 249 रकबा 11बिस्वा, 250 रकबा 01बीघा 11बिस्वा, 251 रकबा 01बीघा 08बिस्वा, 252 रकबा 05बीघा 10बिस्वा बनाये गये। आराजी खसरा नम्बर 510 में से 05बीघा भूमि वादी को बंटवारे में मिली थी, जिसका रकबा हाल खसरा नम्बर 248 रकबा 32बीघा 08बिस्वा में मिलाया गया है तथा आराजी खसरा नम्बर 510 का शेष रकबा हाल खसरा नम्बर 248 रकबा 32बीघा 08बिस्वा में तथा 249 रकबा 16बिस्वा में, 250 रकबा 01बीघा 11बिस्वा, 251 रकबा 01बीघा 08बिस्वा, 252 रकबा 05बीघा 10बिस्वा में मिलाया गया है। विवादित भूमि को सम्वत् 2020 के सेटलमैन्ट में सिवायचक दर्ज कर दिया गया है जबकि भूमि कभी भी

सिवायचक नहीं रही है। अतः साबिक खसरा नम्बर 510 रकबा 21बीघा 16बिस्वा में से 05बीघा रकबा जो हाल सेटलमैन्ट के हाल खसरा नम्बर 248 रकबा 32बीघा 08बिस्वा में मिलाया गया है, का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

9. विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2000 प्रदर्श–5 के कॉलम संख्या–4 व 5 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 510 रकबा 21बीघा 16बिस्वा भूमि वादी के दादा रामसहाय के नाम दर्ज है। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2012 प्रदर्श–7 में अंकित अनुसार विवादित आराजी वादी के पिता रामजीलाल के नाम दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–8 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 510 का रकबा हाल खसरा नम्बर 248 रकबा 32बीघा 08बिस्वा में मिलाया गया है। इसी प्रकार नकल नामान्तरकरण संख्या–54 दिनांक 15–09–1948 प्रदर्श–11 के अनुसार कॉलम संख्या–4 में रामसहाय उर्फ सुण्डा 1/4 बाकी इन्द्राज बदस्तूर 3/4 का इन्द्राज है एवं कॉलम संख्या–5 में खुदकाश्त दर्ज है तथा कॉलम संख्या–16 में विरासत रामजीलाल व हरला का नाम दर्ज है। उक्त राजस्व अभिलेख में से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि विवादित आराजी वादी के दादा रामसहाय की खुदकाश्त की भूमि थी, जिनकी मृत्यु उपरान्त विरासत के नामान्तरकरण से विवादित आराजी वादी के दादा मृतक रामसहाय के पुत्र रामजीलाल व हरला के नाम दर्ज हुई। मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक खसरा नम्बर 510 मिन रकबा 12बीघा 16बिस्वा का रकबा हाल खसरा नम्बर 248 रकबा 32बीघा 08बिस्वा में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सम्वत् 2020 में मिलाया जाकर वादी की 05बीघा भूमि को सिवायचक चारागाह बिना किसी सक्षम आदेश के दर्ज किया गया है। मूल खसरा नम्बर 510 रकबा 21बीघा 16बिस्वा वर्ष 1948 में वादी प्रत्यर्थी के पूर्वज के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज था। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 510 का रकबा नवीन

खसरा नम्बर 248 में 12बीघा 16बिस्वा मिलाकर चारागाह दर्ज कर दिया। भू–प्रबन्ध विभाग को पूर्व के राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियों को ही रिपीट करने का अधिकार मात्र है। किसी की खातेदारी आराजी को सिवायचक चारागाह दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी के पूर्वजों की खातेदारी की आराजी में से 05बीघा भूमि को भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के सिवायचक चारागाह सम्वत् 2020 में दर्ज किया गया है, जो प्रावधित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विधि विरूद्ध है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय से वादी प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इसी प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को उक्त आधार पर खारिज कर दिया।

10. प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इसी तथ्य एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। योग्य उप राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। इस बाबत् विधिक स्थिति स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय

पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

11. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19–01–2004 एवं उपखण्ड अधिकारी, राजगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07–08–2003 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य